न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 61/2011 (225 आर. टी. एक्ट)

आर.सी.एम.एस. संख्या :– 2011/00069

उनवान

1. शिवचरन } पिसरान भदई जाति जाटव निवासी मुहारी तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. रामचरन }

.....अपीलांट।

बनाम

1. मंगती पुत्र परसोती } जाति जाटव निवासी मुहारी तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. श्रीमती बीना धर्मपत्नी मंगती }
3. भीम सिंह } पिसरान कन्हैया जाति जाट निवासी मुहारी तहसील वैर जिला भरतपुर।
4. भगवान सिंह }

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 23.05.2011 उनवानी शिवचरन बनाम भीम सिंह मु0न0 116/09

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी वकील अपीलांट।
2. श्री गम्मन सिंह वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 28.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 23.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 239/1 रकवा 02 विस्वा वाके ग्राम मुहारी तहसील वैर के अपीलाण्ट/वादीगण निस्फ हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी भी किस्म का आज तक नहीं रहा है। किन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण विवादित आराजी की डौल–मेडो को तोड कर अपीलाण्ट/वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपवास खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित, प्रथम दृष्टया स्वत्व, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनो सिद्धान्तों का विश्लेषण ना करते हुये प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट सरसरे तौर पर खारिज करने में त्रुटि की है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलाण्ट आराजी खसरा नम्बर 239/1 में निष्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज हैं व शेष निष्फ हिस्से का टीकम पुत्र दौजी खातेदार काश्तकार काबिज है। दोनों पक्षकारों के मध्य बाहमी विभाजन होकर डौल मेड हो रही है। विवादित आराजी से रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है तब अधीनस्थ न्यायालय को यह चाहिए था कि रैस्पो0 को ता फैसला मुकदमा अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे की आराजी में मदाखलत मजाहमत ना करने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुए, खिलाफ कानून अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 239 की आड में रैस्पो0 संख्या 02 के आराजी खसरा नम्बर 240 जिस पर उनका कोई स्वत्व अधिकार नहीं है, में घूरा, पत्थर, ईधन डालकर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिसकी बाबत् रैस्पो0 ने अपनी आराजी की कई बार पैमाईश भी कराई है। इसके अतिरिक्त मौका पर्चा दिनांक 10.08.2009 हल्का पटवारी गोविन्दपुरा ने अपनी रिपोर्ट में भी अपीलाण्ट का अतिक्रमण, रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 240 में बताया है। अपीलांट ने यह प्रार्थना पत्र व दावा मात्र रैस्पो0 को महज तंग व परेशान करने व आर्थिक क्षति पहुॅचाने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जमाबन्दी संवत 2058–61 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 239/1 के निष्फ हिस्से पर अपीलाण्ट/वादीगण खातेदार काश्तकार अंकित हैं। चूंकि विवादित आराजी का औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः अपीलाण्ट/वादीगण का विधिक रूप से प्रत्येक इंच पर अधिकार माना जावेगा। अतः विवादित आराजी पर प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट/वादीगण का स्वत्व जाहिर होने से सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट/वादीगण के पक्ष में हैं। इसके अतिरिक्त भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 240 की रिपोर्ट पेश की गयी है, जो इस प्रकरण में विवाद की विषय वस्तु नहीं है। दौराने वादकरण अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कथित रिपोर्ट पर विवादित भूमि में अतिक्रमण नहीं होना मानते हुए, अपीलाण्ट/वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है, जो अनुचित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर का निर्णय दिनांक 23.05.2011 खारिज किया जाकर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी की डौल–मेड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने की पाबन्दी आयद की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official